

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 2017/श्रावण 5, 1939
No. 299]	NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2017/ SRAVANA 5, 1939

राजीव गांधी विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) अधिसूचना

दोईमूख, 9 जून, 2017

न्यायालय (Court)

सं. एडीएम-01/एसबी/2000-11/12.— राजीव गाँधी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 22 (i) तथा कानून 10 के अन्तर्गत

राजीव गाँधी विश्वविद्यालय के न्यायालय संविधान से सम्बन्धित कानून 10 में संशोधन का प्रारूप

वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रा	वधान
वर्तमान प्रावधान	10 (I) न्याय	ालय निम्नलिखित सदस्यों से निमि होगा, नाम इस प्रकार हैं :-
न्यायालय की बैठक		
होने के लिये कोरम	(i)	कुलाधिपति
ग्यारह सदस्यों से पूरा	(ii)	कुलपति
होगा	(iii)	समकुलपति
	(iv)	सभी संकायाध्यक्ष
	(v)	समस्त प्रोफेसर
	(vi)	अधिष्ठता-छात्र-कल्याण
	(vii)	सभी विभागाध्याक्ष जो संकायाध्यक्ष और प्रोफेसर नहीं हैं।
	(viii)	कुलसचिव
	(ix)	वित्ताधिकारी
	(x)	परीक्षा नियन्त्रक
	(xi)	पुस्तकालयाध्यक्ष
	(xii)	कुलानशासक,यदि कोई हो

4556 GI/2017 (1)

(xiii)	कुलपति द्वारा नामित (2 सदस्य)
(xiv)	क्रमावर्ती पद्धति के आधार पर दो सह-प्रोफेसर जो विभागाध्यक्ष न हो।
(xv)	सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन वरिष्ठ प्राचार्यों का क्रमावर्ती पद्धति में कुलपति द्वारा वरिष्ठता
	(महाविद्यालय की संस्थापना की तिथि से) के आधार पर मनोनीत होगा ।
(xvi)	दो सांसद, जिनमें से एक लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा और एक राज्यसभा के सभापति द्वारा
	नामित हो। किन्तु यदि कोई सांसद लोकसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष हो गया हो तो उसकी/उसका
	विधिक प्रतिष्ठान से नामितिकरण/चयन निरस्थ कर दिया जायेगा ।
(xvii)	तीन विधायक सदस्य जो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित होगें।
(xviii)	कुलाध्यक्ष द्वारा नामित अलग व्यवसायो का प्रतिनिधित्व करने वाले चार ऐसे विद्धान जिनकी
	विशेष रुची उद्योग, वाणिज्य, व्यापार संघ,बैंक एवं कृषि क्षेत्र में हो ।
(xix)	राजीव गाँधी विश्वविद्यालय छात्र संघ का एक निर्वाचित छात्र प्रतिनिधि ।
(xx)	राजीव गाँधी प्राध्यापक संघ का एक निर्वाचित प्रतिनिधि ।
(xxi)	राजीव गाँधी कर्मचारी संघ का एक निर्वाचित प्रतिनिधि ।
1.4 कुलाधि	पति, कुलपति,समकुलपति,पदेन सदस्यों, छात्र संघ के सदस्यों, प्राध्यापक संघ एवं शिक्षणेतर
कर्मचारी संघ	को छोड़कर न्यायालय के अन्य सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा ।
1.5 न्यायाल	य की बैठक 15 सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा होगा ।

प्रो. राचोब ताबा, कुल सचिव

[विज्ञापन-।।।/4/असा./161/17]

RAJIV GANDHI UNIVERSITY

(A Central University)

NOTIFICATION

Doimukh, the 9th June, 2017

The Court

No. ADM-01/SB/2000-11/12.—Under Clause 22 (1) of the Rajiv Gandhi University Act, 2006 and Statute 10.

Draft Amendment to Statute 10 of Rajiv Gandhi University relating to the constitution of Court

Existing Provision	Provisions after Amendment
Eleven members of the Court shall form a quorum for a meeting of the Court	 (i) Chancellor (ii) Vice-Chancellor (iii) Pro-Vice-Chancellor (iv) All Deans of Faculties (v) All Professors (vi) Dean of Students' Welfare (vii) All Heads of Departments who are not Deans and Professors (viii) Registrar (ix) Finance Officer (x) Controller of Examinations (xi) Librarian
	(xii) Proctor, if any (xiii) Nominees of Vice-Chancellor (2 members)

- (xiv) Two Associate Professors who are not Head of the Departments by rotation on the basis of seniority.
- (xv) Three Principles of affiliated colleges by rotation, according to seniority which shall be determined by the date of establishment of the colleges to be nominated by the Vice-Chancellor.
- (xvi) Two members of the Parliament out of which one is to be nominated by the Speaker of the Lok Sabha and one by the Chairman of the Rajya Sabha. However, in the event that a Member of Parliament becomes a Minister or Speaker/Deputy Speaker/Lok Sabha, her/his nomination/election of the Statutory Body shall be deemed to have been terminated.
- (xvii) Three members of the Legislative Assembly shall be nominated by the Speaker of the State Legislative Assembly of Arunachal Pradesh.
- (xviii) Four members representing learned professions and special interests including representatives of industry, commerce, trade union, banking and agriculture, to be nominated by the Visitor.
- (xix) One elected representative of the students of Rajiv Gandhi University Student Union.
- (xx) One elected representative of the Rajiv Gandhi University Teacher's Association.
- (xxi) One elected representative of the Rajiv Gandhi University Employees Association.
- 1.4 All members of the Court other than Chancellor, Vice-Chancellor, Pro-Vice-Chancellor, Ex-Officio-Members, Member of the Student's Union, Teacher's Association and Non-Teaching Employees Association shall hold office for a term of three years.
- 1.5 Fifteen members of the Court shall form a quorum for a meeting of the Court.

Prof. RACHOB TABA, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./161/17]